स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर 10-10 करोड़ की सब्सिडी

अमर उजाला ब्यूरो

प्रदेश में रिसर्च और उत्पादों को विश्वस्तरीय बनाने की पहल

लखनऊ। प्रदेश सरकार स्वतंत्र विकास एवं अनुसंधान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) और भौगोलिक संकेतांक (जीआई) के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया है। इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का मकसद यूपी की पहचान वाले उत्पादों की जीआई टैग के जरिये ग्लोबल ब्रांडिंग करना है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित नौ सदस्यीय समिति इकाइयों के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। ये प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने के बाद 15 दिन में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जाएंगे और एक माह में सब्सिडी की पहली किस्त दे दी जाएगी। पहले चरण में दस विकास एवं अनुसंधान इकाइयों को सब्सिडी दी जाएगी। इनका चुनाव पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। सामान्य विश्लेषण और अध्ययन करने वाले संस्थान इसका लाभ नहीं ले पाएंगे।

इसके अतिरिक्त पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जीआई टैग के पंजीकरण पर 50 फीसदी सब्सिडी सरकार देगी जो अधिकतम एक करोड़ रुपये होगी। ये लाभ स्वतंत्र आरएंडडी से मिले प्रमाणपत्र पर मिलेगा। सेंटर आफ एक्सीलेंस के लिए सब्सिडी पांच साल तक साल में दो बार जारी की जाएगी।